न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्र0 क0 .... निगरानी / पी.बी.आर / 2015

1— श्री महेश राजपूत वल्द स्व. श्री फूलचन्द राजपूत
2— श्री लोकेशसिंह राजपूत वल्द श्री महेश सिंह राजपूत
कृषकगण ग्राम सेवनिया ओंकारा तह. हुजूर, जि.भोपाल
निवासीगण 18 भवानी नगर जिला भोपाल
3. श्रीमती वन्दना चौहान पत्नि श्री महताब सिंह चौहान
कृषक ग्राम सेवनिया ओंकारा तह. हुजूर, जि.भोपाल
निवासी 81 ओल्ड अशोका गार्डन तह. हुजूर जिला भोपाल

—निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1— घासीराम उम्र वयस्क— वल्द श्री अभयराम,
कृषक ग्राम सेवनिया ओंकारा एवं
निवासी ग्राम सेमराकलॉ तह. हुजूर जिला भोपाल

2— श्री विजय अडलक उम्र लगभग—45 वर्ष,
वल्द श्री आर.एस.अडलक
निवासी—एम.आई.जी. 39,बी—सेक्टर,
सोनागिरी, भोपाल

3— श्री दिनेश शर्मा उम्र लगभग—47 वर्ष,
वल्द श्री एम.एल.शर्मा,
निवासी—59, नवजीवन कालोनी,
छोला दशहरा मैदान के पास, भोपाल

4— श्री टीकाराम वल्द भवानी सिंह,
निवासी—ग्राम सेंवनिया ओंकारा,
तह0 हुजूर जिला भोपाल.

5— म0प्र0शासन,

—रेस्पान्डेन्टगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू—राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण न्यायालय राजस्व निरीक्षक / तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्र0 क0 10 / अ—12 / 14—15 में किये गये सीमांकन दिनॉक 26—05—2015 से परिवेदित होकर जानकारी दि0—02.09.2015 में प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की 16 दिन की अवधि को सम्मिलित करते हुए समयावधि में निगरानी पेश कर रहे हैं।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 01-पीबीआर/16 [महेश राजपूत / घासीराम] **जिला भोपाल**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.06.2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 26-5-15 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15-12-15 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जबकि सीमांकन की कार्यवाही आवेदक पक्ष की उपस्थिति में किया गया है । स्पष्ट है कि आवेदक पक्ष को सीमांकन कार्यवाही की जानकारी थी, इसके उपरान्त भी उनके द्वारा विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है । अंतः अवधि विधान की धारा 5 में विलम्ब के सम्बन्ध में दर्शाये गये आधार, सामाधान कारक नहीं हैं । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	